राजस्थान सरकार
आयुक्ताालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/233;

दिनांक : 22nd January 2021

प्राचार्य
संबंधित राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय : ज्ञानगंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के संबंध में।

लेख है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं चयनित 23 राजकीय महाविद्यालयों के साथ संयुक्त रुप से विषयपरक ज्ञान संवर्द्धन हेतु आयोजित करवाये जा रहे ज्ञान गंगा कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों को आयुक्तालय की आरे से नामित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में नामित संकाय सदस्यों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि –

1. जिन संकाय सदस्यों को ज्ञान गंगा के किसी पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित कर दिया गया है, और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। यदि उनका नाम तुरन्त आगामी आयोजित कार्यक्रम में पुनः नामित हो जाता है तो इस स्थिति में उन्हें अपने प्राचार्य के माध्यम से आयुक्तालय को सूचना देनी होगी। ऐसे पुनः नामित संकाय सदस्यों दो लगातार प्रशिक्षण कार्यकमों में उपस्थित रहने की बाध्यता नहीं है। उेसे नामित सदस्य प्राचार्य के माध्यम से अपनी सूचना आयुक्तालय को प्रेषित करेंगे। तथापि, वे चाहें तो दोनों कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे सदस्यों को पनुः आगामी कार्यक्रमों में नामित किया जायेगा।
2. जिन संकाय सदस्यों को ज्ञान गंगा के किसी पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित कर दिया गया है, और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। यदि उनका नाम एक कार्यक्रम उपरान्त पुनः आगामी आयोजित किसी कार्यक्रम में नामित हो जाता है तो वे बिना किसी पूरक प्रश्न किये उस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस संबंध में आयुक्तालय में अनावश्यक सम्पर्क नहीं करें।
3. जिन नामित संकाय सदस्यों के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है,परन्तु महाविद्यालय का नाम एवं उनका विषय सही है, तो वे अपना पंजीकरण करते समय अपना नाम (सरकारी रिकार्ड के अनुरुप) स्वंय सही कर लें। इसके लिये अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
4. जिन संकाय सदस्यों को इन प्रशिक्षण में नामित किया गया है और वे पहले से ही किसी इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर से नामित किया गया है अथवा अनुमति प्राप्त हो गई है। यदि ऐसे नामित संकाय सदस्यों का उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें इन प्रशिक्षणों के तब तक के चरणों से मुक्त किया जाता है, जब तक कि उनके उपर्युक्त प्रोग्राम की अवधि है। परन्तु यदि उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनका प्रशिक्षण आरम्भ नहीं हुआ है तो उन्हें इन ज्ञान गंगा कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करने के उपरान्त उन्हें इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर अनुमति अथवा आदेश प्राप्त

हो जाता है तो उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम को बीच में छोडकर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु तब तक उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करना अनिवार्य है।

5. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त अपना फीडबैक कार्यक्रम समाप्ति के 03 दिवस के अन्दर–अन्दर प्राचार्य को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है। प्राचार्य द्वारा यह फीडबैक आयुक्तालय को प्रेषित किया जायेगा।

6. उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के आधार पर इन कार्यक्रमों में सहभागिता से मुक्ति के लिये प्रयास नहीं करें।

22/01.

सन्देश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांकः : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/233; दिनांक : 22nd January 2021
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6. संबंधित नामित संकाय सदस्य।
7. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

22/01/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ